jktdh; vk|kfxd ifj'k{k.k lLFkku gehjiqj] ftyk gehjiqj] fgekpy ins'k d
Nk= dY;k.k fuf/k y[kkvk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu
vof/k 4@2007 l 3@2011

Hkkx&,d

1 xr vd{k.k ifronu&

संस्था के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के षेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के पष्चात नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:'–

vd{k.k ifronu vof/k 4@05 l 3@2007

1	पैरा–3	निर्णीत अंकेक्षण षुल्क
2	पैरा–4	निर्णीत संस्था द्वारा की गई अनुपालना के दृष्टिगत

Hkkx&nk

2 orleku vd{k.k&

संस्था के निधि लेखाओं अवधि 4/07 से 3/11 तक का अंकेक्षण विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.3.2012 से 27.3.2012 तक के दौरान सम्पन्न किया गया। विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

o"k	vk;	0;;
2007–08	07/2007	11/2007
2008–09	07/2008	12/2008
2009–10	08/2009	08/2009
2010–11	09/2010	05/2010

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, के लिए उत्तरदायी नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व विस्तृत जॉच हेतु चयनित मासें तक ही सीमित है।

3 vd{k.k 'kqYd&

संस्था के निधि लेखाओं अवधि 4/2007 से 3/2011 तक का अंकेक्षण षुल्क ₹5000/–के बनता है। प्रधानाचार्य को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 8–3/12 दिनांक 27.3.2012 द्वारा अंकेक्षण षुल्क की राषि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम सें निदेषक स्थानीय

लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–171009 को भेजने का अनुरोध किया गया तदानुसार उनके द्वारा, अंकेक्षण षुल्क की राषि को बैंक ड्राफ्ट संख्या 263415 दिनांक 29.3. 2012 के द्वारा प्रेषित कर दी गई।

4 foÙkh; fLFkfr%&

संस्था के निधि लेखों अवधि 04/2007 से 3/2011 तक की वित्तीय स्थिति का विस्तृत ब्यौरा परिषिष्ट "क" के पृष्ठ संख्या 1 से 4 तक किया गया है।

5 Hkqxrku%&

अंकेक्षण मे ंपाया गया कि संस्था ने निम्न विवरणानुसार ₹14,440/–की राषि का व्यय संस्था के कार्यालय परिसर के बिजली के बिलों के भुगतान हेतु किया था जो कि नियमानुसार छात्र कल्याण निधियों पर उचित प्रभार नहीं था। इस के अतिरिक्त इस भुगतान से सम्बन्धित बिल या रसीद भी अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। अतः अनाधिकृत तौर पर किए गए व्यय का औचित्य इस निधि से सम्बन्धित नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा राषि को उचित स्त्रोत से निकाल कर निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए।

fnukad	jkf'k
19.5.2007	4131
29.4.2008	4142
3.5.2010	6167
कुल योग	14]440

6 d'k&cqd esa fuf/k;ksa dh iksfLVax%&

¼1½ अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था ने वर्ष 2008–09 में निधि एवं षुल्क दैनिकी एकत्रिकरण रजिस्टर के अनुसार विभिन्न निधियों की वसूली गई राषि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवा दिया गया था। बाद में छात्र कल्याण निधि से विभिन्न निधियों की सम्बन्धित कैष–बुकों में अपेक्षाकृत निम्न विवरणानुसार ₹10,500/–की राषि की कम पोसटिंग की गई थी जो कि आपत्तिजनक है जिस का औचित्य स्पष्ट करतें हुए वांछित कार्रवाई की जाए। अनुपालना को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

fuf/k	,df=r jkf'k	ikfLVix jkf'k	dh vUrj
परीक्षा निधि	20300	19,300	1000
चिकित्सा निधि	20300	19300	1000
ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमैन्ट निधि	10000	9500	500
पुस्तकालय निधि	5075	4825	250
पहचान पत्र निधि	4950	4700	250
संस्थान प्रतिभूति निधि	49500	47000	2500
भवन निधि	50750	48250	2500
बिजली एवं पानी निधि	50750	48250	2500
कुल योग	211625	201125	10500

¼2½ संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार मास 8/2009 में विभिन्न निधियों की वसूली की गई राषि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवा दिया गया था तथा बाद में भी इन निधियों की राषियों को सम्बन्धित निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया जिस का औचित्य स्पष्ट करते हुए वांछित कार्रवाई करके अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

Ø0 l0	fuf/k	jkf'k
1	संस्थान प्रतिभूति निधि	23000
2	पहचान पत्र निधि	2300
3	भवन निधि	28250
4	चिकित्सा निधि	11300
5	परीक्षा निधि	11300
6	ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमैन्ट निधि	5650
7	पुस्तकालय निधि	2825
8	बिजली व पानी निधि	2850

7 'k{kf.kd 'kqYd%&

¼1½ षुल्क एवं निधि दैनिकी एकत्रिकरण रजिस्टर के अनुसार संस्था ने निम्न विवरणानुसार ₹9000/–की षैक्षणिक षुल्क की वसूली की गई थी लेकिन जॉच मे पाया गया कि इस राषि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवा दिया गया था तथा अब तक भी यह राषि छात्र कल्याण निधि में ही जमा थी जबकि नियमानुसार इस राषि को सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित था। अतः षैक्षणिक षुल्क की राषि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट

करते हुए तुरन्त इस राषि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

jlhn l[;k	fnukad	jkf'k
2241 से 2274 तक	7.8.2009 से 8.8.2009	6600
2601 से 2612 तक	24.8.2009 से 3.9.2009	2400
	dqy ;ksx	9000

½2½ अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा षैक्षणिक षुल्क की वसूली गई राषि को निम्न विवरणानुसार सरकारी कोष में देरी से जमा करवाया गया था जबकि षैक्षणिक षुल्क की राषि को वसूली के तुरन्त बाद सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित था। अतः षैक्षणिक षुल्क की राषि को देरी से सरकारी कोष में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा दोषी से नियमानुसार दण्डात्मक ब्याज की वसूली की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

olwyh dk ekl	jkf'k	tek djokus dh fnukad o pkyku l0
7/2007	16000	चालान सं0 29/38 दिनांक 3.11.2007
7/2008	19800	चालान संख्या 39 दिनांक 23.12.2008

8 C;kt dh bUnzkt½&

संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार बैंक के बचत खाते में अर्जित ब्याज की प्रविष्टियों को कैष बुक मे ंनहीं किया गया था जो कि आपतिजनक है जिस का औचित्य स्पष्ट करते हुए वांछित कार्रवाई की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

fuf/k	fnukad	jkf'k
भवन निधि	30.6.07	294
भवन निधि	31.12.07	533
भवन निधि	30.6.08	304
पुस्तकालय निधि	30.6.07	62
पुस्तकालय निधि	31.12.07	87
पुस्तकालय निधि	30.6.08	29
चिकित्सा निधि	30.6.07	156
चिकित्सा निधि	31.12.07	252

चिकित्सा निधि	30.6.08	219
परीक्षा निधि	30.6.2007	212
परीक्षा निधि	31.12.2007	287
परीक्षा निधि	30.6.2008	546
पानी व बिजली निधि	30.6.2007	398
पानी व बिजली निधि	31.12.2007	568
पानी व बिजली निधि	30.6.2008	314
पानी व बिजली निधि	31.12.2008	280
पानी व बिजली निधि	30.6.2009	1047
ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमैन्ट निधि	30.6.2007	376
ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमैन्ट निधि	31.12.2007	400
ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमैन्ट निधि	30.6.2008	166
प्रतिभूति निधि	30.6.2007	189
प्रतिभूति निधि	31.12.2007	178
प्रतिभूति निधि	30.6.2008	383
प्रतिभूति निधि	31.12.2008	385
अस्थाई प्रमाण पत्र निधि	30.6.2007	120
अस्थाई प्रमाण पत्र निधि	31.12.2007	122
अस्थाई प्रमाण पत्र निधि	30.6.2008	140
छात्र कल्याण निधि	30.6.2007	412
छात्र कल्याण निधि	31.12.2007	435
छात्र कल्याण निधि	30.6.2008	79
छात्र कल्याण निधि	31.12.2008	
छात्र कल्याण निधि	30.6.2009	258

9 jlhn c|dk dk LVkd jftLVj%&

अंकेक्षण मे ंपाया गया कि संस्था द्वारा षुल्क एवं निधियों की वसूली हेतु प्रयोग की गई रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिस के बिना यह सुनिष्चित नहीं किया जा सका कि संस्था को कितनी रसीद बुकें प्राप्त हुई किस क्रमांक की थी कब प्राप्त हुई तथा किस क्रमांक की षेष थी। अतः रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें अब रसीद बुकों का अपेक्षित भण्डार रजिस्टर तैयार किया जाए, जिस में प्राप्ति की दिनांक, रसीद बुकों का क्रमांक प्राप्ति का स्त्रोत मात्रा किस–किस क्रमांक की जारी की गई का विवरण दर्ज किया जाए तथा यह भी प्रमाणित/सत्यापित किया जाए कि प्रयोग की गई रसीद बुक के द्वारा वसूल की गई राषि का

लेखांकन कर लिया गया है तथा अनुपालना को आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

10 Hk.Mkj dk lR;kiu%&

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि क दौरान भण्डार मे पड़े सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया जबकि यह प्रतयेक वर्ष के अन्त में किया जाना अपेक्षित होता है। अतः नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना को आगामी अंकेक्षण में दर्षाया जाए तथा भविष्य में यह प्रक्रिया हर वर्ष अपनाई जानी सुनिष्चित की जाए।

11 y/kq vkifÙk foojf.kdk%&

संस्था को लधु आपत्ति विवरणिका जारी नहीं की गई थी।

12 fu"d"kZ%&

संस्था के निधि लेखाओं के रख–रखाव मे सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(xi)(6)68/89खण्ड–II दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 सचिव तकनीकी षिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेंष सरकार षिमला–171002

2 निदेषक, तकनीकी षिक्षा सुन्दरनगर जिला मण्डी, (हि0प्र0)

i`thd`r 3 प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान (महिला) हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेंदन के जारी होने के एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.